नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री, बिहार

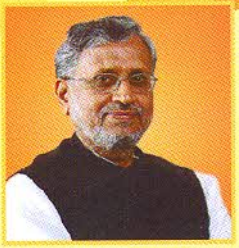

सुशील कुमार मोदी
उप मुख्यमंत्री, बिहार

विजय कुमार सिन्हा
श्रम संसाधन, मंत्री बिहार सरकार

असंगठित श्रमिकों के तरफ सरकार के बढ़ते कदम...

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011

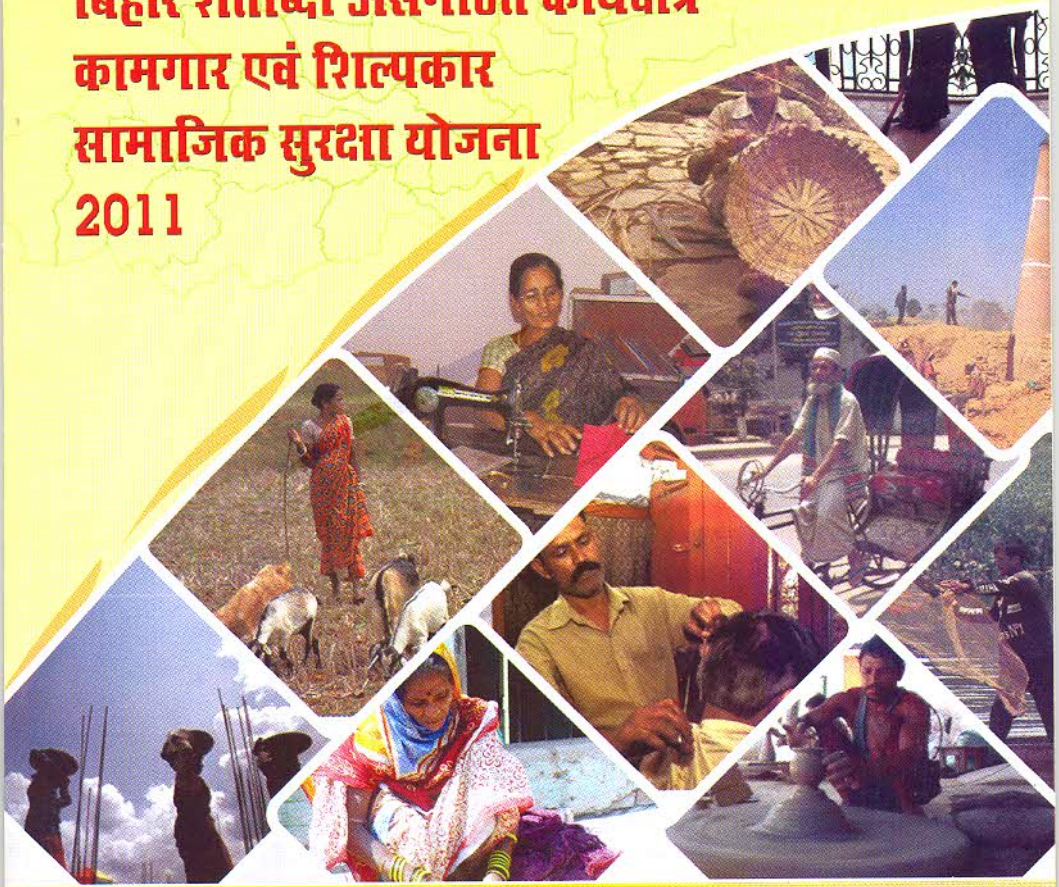

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, पटना-1

"बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011"

बिहार सरकार राज्य के असंगठित कामगारों एवं शिल्पकारों के हितों की रक्षा के लिए कृत संकल्प है। बिहार राज्य में काम करनेवाले कामगार एवं शिल्पकार राज्य में ही रहकर इसके विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक महत्त्वाकांक्षी योजना "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" शुरू की गई। यह योजना 01 अप्रैल, 2011 से लागू है।

1. **योजना के लाभ की पात्रता:** यह योजना बिहार राज्य के निवासी उन सभी कामगारों/शिल्पकारों पर लागू होगा जो राज्य के अंदर असंगठित कार्य क्षेत्र में काम करते हैं तथा जिनकी आयु 18 से 65 वर्ष के बीच है। आयु की गणना किसी वर्ष की पहली जुलाई के अनुसार की जाएगी।

2. **असंगठित कार्य क्षेत्र :** असंगठित कार्य क्षेत्र का अर्थ है वे सभी नियोजन जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजन माने जाते हैं। ऐसे नियोजनों की संख्या वर्तमान में 88 है, जो निम्न हैं :–

(1) कॉ–ऑपरेटिव सेक्टर	(2) अल्मुनियम उद्योग	(3) वन का संचालन तथा लकड़ी बनाने के कार्य
(4) खंडसारी उद्योग	(5)केमिकल एंड फर्मास्यूटिकल उद्योग	(6) सिमेन्ट प्री–स्ट्रेटेटेड प्रोडक्ट्स उद्योग
(7) साबुन निर्माण उद्योग	(8) कृषि नियोजन	(9) धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान
(10) एस्वेस्टस सिमेंट उद्योग	(11) ग्लास शीट निर्माण	(12) निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स
(13)बन्दूक करखाने	(14) पापड़ उद्योग	(15) चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं
(16) पेपर उद्योग	(17) लौण्ड्रीज एंड वाशिंग	(18) इलेक्ट्रोकास्टिंग एवं मेटल फरनिसिंग उद्योग
(19) होजियरी निर्माण	(20) सिन्दूर एवं रंग बनाने का उद्योग	(21)दफ्ती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड कारगेरेक बोर्ड,एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण
(22)चर्म वस्तु निर्माण	(23) उड वर्क्स फर्नीचर	(24) सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उद्योग
(25) आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स	(26) पेट्रोल एवं डिजल पम्पस	(27) बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फलोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग
(28) फिशरीज	(29) खादी एवं ग्राम उद्योग	(30) स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण
(31) प्राईवेट फेरीज एंड एल.टी.सी	(32) जिल्दसाजी उद्योग	(33) लघु अभियंत्रण उद्योग(स्वचालित दूकान को छोड़कर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले)
(34) इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग	(35) प्लाईउड उद्योग	(36) अबरख कार्य(खादान को छोड़कर)–कारखाना एवं प्रतिष्ठान

(37) ढलाई (फाउन्ड्री) उद्योग	(38) रबड एवं कम्पाउंड उद्योग	(39) किसी भी विश्वविद्यालय शैक्षणिकशोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान
(40) बिस्कुट उद्योग	(41) कोल ब्रिकेट उद्योग	(42) अभियंत्रण उद्योग(50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले)
(43) सिलाई उद्योग	(44) हैंडलूम उद्योग	(45) लोहा से छड पट्टी, एंगल आदि रोलिंग का कार्य
(46) प्लास्टिक उद्योग	(47) डिस्ट्रीलरीज	(48) पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने का कार्य
(49) शीशा उद्योग (ग्लास शीट छोडकर)	(50) मिनरल ग्राईडिंग उद्योग	(51) असली रेशम, कृत्रिम रेशम तथा स्टैपुल धागों से निर्माण सहित सिल्क उद्योग
(52) तेल मिल	(53) डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्मश	(54) केन्दु पत्ता तोड़ने एवं तैयार करने
(55) किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान	(56) चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल	(57) सफाई कर्मचारी के नियोजन (शुष्क शौचालय सन्निर्माण प्रतिषेध अधिनियम, 1993 के अधीन प्रतिसिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर)
(58) बाँध निर्माण एवं सिंचाई कार्य	(59) मुद्रणालय	(60) दवा बिक्री प्रात्साहन के नियोजन
(61) होटल, भोजन गृह एव रेस्तराओं	(62) पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट	(63) पावरलूम इंडस्ट्रीज (बिजली करघा)
(64) पौट्रीज	(65) कोल्ड स्टोरेज	(66) ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले
(67) हार्ड कोक भट्ठे	(68) सिनेमा उद्योग	(69) सडको के निर्माण या अनुरक्षण अथवा भवन निर्माण कार्य
(70) चूड़ा मिल	(71) कूरियर सेवा	(72) पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें
(73) जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य	(74) ईंट निर्माण	(75) रिफ्रेक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग
(76) बीड़ी निर्माण	(77) चाय बगान	(78) औटोमोवाईल इंजिनियरिंग शौप्स
(79) हेयर कटिंग सैलून	(80) लाह निर्माण	(81) प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी
(82) मिट्टी काटने के कार्यो	(83) घरेलू कामगार	(84) लादने एवं उतारने के कार्यों
(85) अगरबत्ती उद्योग	(86) नाविक के नियोजन	(87) सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग
(88) बेकरीज एवं कन्फेक्सरीज		

3. **शिल्पकार** :योजनानुसार शिल्पकार उन व्यक्तियों को माना गया है जो अपनी रोजीरोटी निम्नांकित व्यवसायों से चलाते हों, जैसे– (1) लोहारगिरी, (2) टोकरी निर्माण, (3) बैलगाड़ी / साईकल ठेला / हाट ठेला चालन, (4) बढ़ईगीरी, (5) रंगरेज, (6) रिक्शा चालन, (7) खिलौना निर्माण, (8) पशुपालन, (9) पशु चराना (चरवाही), (10) कशीदाकारी, (11) रस्सी निर्माण, (12) कुम्हारगिरी, (13) नाईगिरी, (14) हस्तकरघा, (15) मल्लाहगिरी, (16) मदारीगिरी का प्रदर्शन, (17) छाता मरम्मति एवं निर्माण, (18) भेंड़–बकरी पालन, (19) दर्जीगिरी, (20) रफ्फुगिरी, (21) पत्थर काटना, (22) फेरी लगाना, (23) ठठेरागिरी, (24) पटरी दुकानदार, (25) ऑटो रिक्शा चालन, (26) सब्जी एवं फल बिक्री, (27) मूर्ति निर्माण, (28) कपड़ा रंगाई, (29) बुनाई, (30) कूड़ा बिनने वाले आदि। उपरोक्त सभी कार्य दृष्टांत युक्त हैं।

4. **दुर्घटना किसे कहेंगे** :दुर्घटना से तात्पर्य होगा बाह्य हिंसा के कारण हुई दुर्घटना, जो दिखाई दे सके तथा इसमें शामिल हैं: रेल अथवा सड़क दुर्घटना, विद्युत स्पर्शाघात, सर्पदश, पानी में डूबना, आग में जलना, पेड़ अथवा भवन से गिरना, जंगली जानवरों का आक्रमण, आतंकवाद तथा आपराधिक आक्रमण आदि। यह सूची उदाहरणस्वरूप है, अंतिम नहीं। परंतु स्वेच्छा से लगाई गई चोट, आत्म हत्या अथवा नशे के कारण हुई

मृत्यु, चोट अथवा निःशक्तता इसमें शामिल नहीं मानी जाएगी।

5. **पूर्ण स्थायी निःशक्तता :** पूर्ण स्थायी निःशक्तता का मतलब है कि किसी दुर्घटना के कारण किसी कामगार अथवा शिल्पकार की दोनों आँख अथवा दोनों हाथ अथवा दोनों पैर अथवा एक आँख–एक हाथ/एक पैर बेकार हो जाए। इसके अलावा यदि पक्षाघात (लकवा) की वजह से दोनों आँखें बेकार हो जाए या मस्तिष्क काम करना बन्द कर दे तो उसे भी स्थायी निःशक्तता माना जाएगा।

6. **स्थायी आंशिक निःशक्तता :** स्थायी आंशिक निःशक्तता का मतलब है किसी दुर्घटना के कारण एक आँख अथवा एक पैर बेकार हो जाए। इसके अतिरिक्त लकवा के कारण एक आँख/एक पैर बेकार हो जाए।

7. **स्वाभाविक मृत्यु :** जो मृत्यु दुर्घटना से नहीं अपितु सामान्य कारणों से हो उसे स्वभाविक मृत्यु कहा जाएगा, जैसे किसी बीमारी से असंगठित कामगार की मृत्यु।

8. **आश्रित :** आश्रित से तात्पर्य है मृतक की विधवा और महिला के संदर्भ में उसका पति, आश्रित का पुत्र, अविवाहित पुत्री एवं माता–पिता या अविवाहित मृतक के संदर्भ में संयुक्त रूप से माता–पिता। मृत्यु की स्थिति में अनुदान की राशि उनके सभी आश्रितों में समान अनुपात में वितरित की जाएगी।

9. **योजना के लाभ :** उक्त योजनांतर्गत असंगठित कार्य क्षेत्र के कामगारों तथा शिल्पकारों या उनके आश्रितों को निम्न लाभ देय होगा : –

क0 सं0	योजना का नाम	योजनांतर्ग तदेय अनुदान की राशि	आवेदन हेतु आवश्यक कागजात
1	दुर्घटना मृत्यु	@ 1,00,000/-	(i) स्वाभाविक मृत्यु और दुर्घटना मृत्यु के दशा में विहित प्रपत्र-1 में आवेदन (ii) मृतक का आवासीय प्रमाण पत्र। (iii) अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत आश्रितों का प्रमाण पत्र। (iv) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र। (v) दुर्घटना के संबंध में पुलिस थाना में दी गई सूचना की प्रति (अगर पुलिस थाना में जानकारी देना विधि द्वारा अपेक्षित न हो तो मुखिया/वार्ड पार्षद द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र) (vi) मृत्यु प्रमाण पत्र या अन्वेषण प्रतिवेदन या पंचनामा(केवल दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर। (vii) मृतक के उम्र का सबूत(आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि)

2	स्वाभाविक मृत्यु	@ 30,000/-	(viii) मृतक के कार्य की प्रकृति विनिर्दिष्ट करते हुए जिसमें वह संलग्न था, यथास्थिति, संबंधित मुखिया/पंचायत के वार्ड सदस्य/पंचायत समिति के सदस्य या संबंधित शहरी क्षेत्र के वार्ड पार्षद द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। (ix) आधार कार्ड (x) कोटि (आवेदक का जाति प्रमाण पत्र) (xi) बैंक खाता एवं आई.एफ.एस.सी. (पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति)
3.	पूर्ण स्थायी निःशक्तता	@ 75,000/-	(i) पूर्ण स्थाई निःशक्तता एवं आंशिक निःशक्तता के मामले में प्रपत्र-2 में आवेदन। (ii) आवासीय प्रमाण पत्र। (iii) उम्र का सबूत(आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि) (iv) एक फोटोग्राफ, जिसमें आवेदक अपने निःशक्तता की स्थिति दर्शाई गई हो। (v) पुलिस स्टेशन को दुर्घटना के बारे में दी गई सूचना की प्रति या यदि पुलिस स्टेशन को सूचना देना विधि के अधीन अपेक्षित नहीं हो तो दुर्घटना के संबंध में मुखिया/वार्ड पार्षद द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। (vi) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र।(सरकारी अस्थि शल्य चिकित्सक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की अपेक्षा की जाएगी) (vii) मुखिया/पंचायत के वार्ड सदस्य/सदस्य पंचायत समिति/शहरी क्षेत्र के मामले में वार्ड पार्षद द्वारा कार्य की प्रकृति की विनिर्दष्ट करते हुए जिसमें आवेदक लगा हो या लगा हुआ था, निर्गत प्रमाण पत्र। (viii) आधार कार्ड (ix) कोटि (आवेदक का जाति प्रमाण पत्र) (x) बैंक खाता एवं आई.एफ.एस.सी. (पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति)
4	स्थायी आंशिक निःशक्तता	@ 37,500/-	

5	दुर्घटना के फलस्वरूप हुई चोट की स्थिति में	@ 5,000/-	(i) किसी कामगार या शिल्पकार के दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्त्ती होने की दशा में प्रपत्र-5 में आवेदन। (ii) आवासीय प्रमाण पत्र। (iii) अस्पताल में भर्त्ती होने का प्रमाण पत्र। (iv) पुलिस स्टेशन को दुर्घटना के बारे में दी गई सूचना की प्रति या यदि पुलिस स्टेशन को सूचना देना विधि के अधीन अपेक्षित नहीं हो तो यथास्थिति, मुखिया/शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षद का प्रमाण पत्र। (v) उम्र का सबूत(आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि) (vi) पंचायत का मुखिया/वार्ड सदस्य/सदस्य पंचायत समिति या वार्ड पार्षद(शहरी क्षेत्र के मामले में) जिस मामले मं जो लागू हो, द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जिससे स्पष्ट हो कि आवेदक किस प्रकृति के कार्य में संलग्न है/था। (vii) व्यक्ति का स्व अभिप्रमाणित ऐसा फोटोग्राफ, जिससे उसकी चोट एवं अस्पताल में भर्त्ती होना परिलक्षित होता हो। (viii) आधार कार्ड (ix) कोटि (आवेदक का जाति प्रमाण पत्र) (x) बैंक खाता एवं आई.एफ.एस.सी. (पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति)
6	असाध्य रोग के लिए चिकित्सा सहायता	@ 7,500-30,000/-	(i) कामगार या शिल्पकार के असाध्य बीमारी की दशा में चिकित्सीय सहायता अनुदान हेतु प्रपत्र-6 में आवेदन ।

			(ii) आवासीय प्रमाण पत्र। (iii) आवेदक की बीमारी की प्रकृति से संबंधित चिकित्सा प्रदान करनेवाले चिकित्सक अथवा अस्पताल का प्रमाण पत्र। (iv) उम्र का सबूत(आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि) (v)यथास्थिति, मुखिया/पंचायत वार्ड सदस्य/सदस्य पंचायत समिति या शहरी क्षेत्र में संबंधित वार्ड पार्षद द्वारा कार्य की प्रकृति की विनिर्दष्ट करते हुए जिसमें आवेदक कार्यरत है/ था निर्गत प्रमाण पत्र। (vi) स्व अभिप्रमाणित एक फोटोग्राफ। (vii) आधार कार्ड (viii) कोटि (आवेदक का जाति प्रमाण पत्र) (xi) बैंक खाता एवं आईएफ.एस.सी. (पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति)

- कामगार या शिल्पकार को नीचे लिखे टेबल में अंकित असाध्य रोगों के लिए उनके सामनेदिए गए दर से चिकित्सा सहायता का भुगतान किया जाएगा :–

क्र. सं.	बीमारी का नाम	उपचार की प्रकृति	चिकित्सीय सहायता की राशि(रू०)
1	कैंसर	शल्य चिकित्सा(शल्य क्रिया के साथ)	25000
		बगैर शल्य चिकित्सा(बिना शल्य क्रिया)	15000
2	हृदय रोग	डी.भी.आर.(डबल भाल्भ रिप्लेसमेंट)	30000
		एम.भी.आर.(मित्रल भाल्भ रिप्लेसमेंट)	25000
		पेस मेकर	25000
		स्टेनोसिस/बैलून भालभोटोमी	15000

		सी.ए.बी.जी.(कोरोनरी आर्टरी बाइपास ग्राफ्ट)	25000
		पी.टी.सी.ए. परक्युटिनियस ट्रांसलुमिनियस कोरोनरी एंजियो प्लास्टी	25000
		ए.एस.डी.(एट्रियल सेप्टल डिफेक्टस)/भी.एस.डी.	15000
3	रिनल(किडनी)बीमारी	शल्य चिकित्सा(शल्य क्रिया के साथ)	30000
4	ब्रेन ट्यूर	लघु शल्य क्रिया	10000
		वृहद.	20000
5	एड्स	मेडिकल एटेंडेंट के निर्णय के अनुरूप	25000
6	पूर्ण कुल्हा एवं घुटना बदलना	शल्य क्रिया द्वारा	10000
7	वृहत् भसकुलर शल्य चिकित्सा	शल्य क्रिया द्वारा	10000
8	बोन मैरो ट्रांसप्लाटेशन	शल्य क्रिया द्वारा	10000
9	स्पाइनल शल्य चिकित्सा	शल्य क्रिया द्वारा	7500

★ राशि RTGS के माध्यम से सीधे लाभुक के खाते में स्थानान्तरित किया जाता है

अपील :– **जिला पदाधिकारी या समिति के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति श्रमायुक्त, बिहार के समक्ष अपील कर सकेगा जिनका विनिश्चय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।**

कार्यालय पता

श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
नियोजन भवन, पटना– 800001
दूरभाष– 0612–2520053
Email-edbslws2017@gmail.com

मा॰ मंत्री श्रम संसाधन विभाग कोषांग, दूरभाष : 0612 : 2528450